

पेशे के रूप में सेक्स वर्क की मान्यता

प्रलिस के लयि:

सरवोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 21

मेन्स के लयि:

एक पेशे के रूप में सेक्स वर्क की मान्यता, सेक्स वर्कर के अधिकार, सरकारी नीतयिँ और हस्तक्षेप

चर्चा में क्यौं?

हाल ही में एक महत्त्वपूर्ण आदेश में [सरवोच्च न्यायालय](#) ने सेक्स वर्क को एक "पेशे" के रूप में मान्यता दी है और कहा कि इसके व्यवसायी कानून के तहत सम्मान और समान सुरक्षा के हकदार हैं।

- न्यायालय ने [संवधान के अनुच्छेद 142](#) के तहत अपनी विशेष शक्तयिँ का इस्तेमाल कयि। अनुच्छेद 142 सरवोच्च न्यायालय को वविकाधीन शक्तिपरदान करता है, इसमें कहा गया है कि सरवोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डकिरी पारति कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबति कसिी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय करने के लयि आवश्यक हो।
- [राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग \(NHRC\)](#) ने वर्ष 2020 में सेक्स वर्कर को अनौपचारिक शर्मकि के रूप में मान्यता दी।

सरवोच्च न्यायालय के फैसले की मुख्य वशिषताएँ:

- **आपराधिक कानून:**
 - सेक्स वर्कर कानून के समान संरक्षण के हकदार हैं और आपराधिक कानून सभी मामलों में 'आयु' और 'सहमति' के आधार पर समान रूप से लागू होना चाहयि।
 - जब यह स्पष्ट हो जाए कि सेक्स वर्कर वयस्क है और सहमति से भाग ले रहा है, तो पुलिस को हस्तक्षेप करने या कोई आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहयि।
 - [अनुच्छेद 21](#) घोषति करता है कि कानून द्वारा स्थापति प्रक्रयि के अनुसार, कसिी भी **व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचति नहीं कयि जाएगा**। यह अधिकार नागरकिँ और गैर-नागरकिँ दोनों को प्राप्त है।
 - जब भी कसिी वेश्यालय पर छापा मारा जाता है तो **सेक्स वर्कर को "गरिफ्तार या डंडति या परेशान या पीडति" नहीं कयि जाना चाहयि**, "चूँकि स्वैच्छिक सेक्स वर्क अवैध नहीं है, जबकि वेश्यालय चलाना गैर-कानूनी है"।
- **एक यौनकर्मी के बच्चे के अधिकार:**
 - एक यौनकर्मी के बच्चे को सरिफ इस आधार पर माँ से अलग नहीं कयि जाना चाहयि कि वह देह व्यापार में संलपित है।
 - मानव शालीनता और गरमा की बुनयिदी सुरक्षा यौनकर्मयिँ और उनके बच्चों को भी प्राप्त है।
 - इसके अलावा यदकि कोई नाबालगि वेश्यालय में या यौनकर्मयिँ के साथ रहता पाया जाता है, तो यह नहीं माना जाना चाहयि कि बच्चे की तस्करी की गई।
 - यदकि यौनकर्मी का दावा है कि वह उसका बेटा/बेटी है तो यह नरिधारति करने के लयि परीक्षण कयि जा सकता है कि क्या दावा सही है और यदकि ऐसा है, तो नाबालगि को ज़बरन अलग नहीं कयि जाना चाहयि।
- **स्वास्थ्य देखभाल:**
 - यौन उत्पीडन की शकिार यौनकर्मयिँ को तत्काल चकितिसा-कानूनी देखभाल सहति हर प्रकार की सुवधि प्रदान की जानी चाहयि।
- **मीडयिा की भूमकिा:**
 - मीडयिा को इस बात का अत्यधिक ध्यान रखना चाहयि कि गरिफ्तारी, छापे और बचाव कार्यों के दौरान यौनकर्मयिँ की पहचान प्रकट न हो, चाहे वह पीडति हों या आरोपी और ऐसी कोई भी तस्वीर प्रकाशति या प्रसारति न करें जसिसे उसकी पहचान का खुलासा हो।

संबंधति प्रावधान/सरवोच्च न्यायालय के वचार:

■ अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम:

- भारत में यौन कार्य को नयित्त्रति करने वाला कानून अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम है।
 - महिलाओं और बच्चों के अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम वर्ष 1956 में अधिनियमिति किया गया था।
- बाद में कानून में संशोधन कयि गए और अधिनियम का नाम बदलकर अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम कर दिया गया।
- कानून वेश्यालय चलाने, सार्वजनिक स्थान पर याचना करने, सेक्स वर्क की कमाई से जीने और एक सेक्स वर्कर के साथ रहने या आदतन रहने जैसे कृत्यों को दंडित करता है।

■ न्यायमूर्तविरमा आयोग (2012-13):

- न्यायमूर्तविरमा आयोग ने यह भी स्वीकार किया था कि व्यावसायिक यौन शोषण के लयि तस्करी की जाने वाली महिलाओं और वयस्क, सहमति देने वाली महिलाओं के बीच अंतर है जो अपनी इच्छा से यौन कार्य में हैं।

■ बुद्धदेव करमस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2011) मामला:

- उच्चतम न्यायालय ने बुद्धदेव करमस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2011) मामले में कहा कि यौनकरमियों को सम्मान का अधिकार है।

यौनकरमियों के समक्ष चुनौतियाँ:

■ भेदभाव और दोषारोपण:

- यौनकरमियों के अधिकार अस्तित्वहीन हैं और ऐसा काम करने वालों को उनकी आपराधिक स्थितिके कारण भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
- इन लोगों को हेय दृष्टिसे देखा जाता है तथा समाज में इनका कोई स्थान नहीं होता है और अधिकांशतः ज़मींदारों एवं यहाँ तक कि कानून द्वारा भी इनके साथ कठोर व्यवहार किया जाता है।
- दूसरों के समान मानव, स्वास्थ्य और श्रम अधिकार दयि जाने की मांग के लयि उनकी लड़ाई जारी है क्योंकि उन्हें अन्य श्रमिकों के समान श्रेणी में नहीं माना जाता है।

■ दुरव्यवहार और शोषण:

- कई बार यौनकरमियों को कई तरह की गालियों का सामना करना पड़ता है जो शारीरिक से लेकर मानसिक हमलों तक होती हैं।
- उन्हें ग्राहकों, उनके अपने परिवार के सदस्यों, समुदाय और यहाँ तक कि उन लोगों से भी उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है जनिहें कानून का पालन करना चाहयि।

आगे की राह

- सेक्स वर्क को पेशे के रूप में मान्यता देने और इसे नैतिक स्वरूप प्रदान करने का समय आ गया है।
 - सेक्स वर्क के अंतरगत वयस्क पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को यौन सेवाएँ प्रदान कर आजीविका चलाने; गरमिपूरण जीवन व्यतीत करने एवं हिसा, शोषण, सामाजिक कलंक व भेदभाव से मुक्तिका अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता है।
- अब समय आ गया है कि हम श्रम के दृष्टिकोण से सेक्स वर्क पर पुनर्विचार करें, जहाँ हम उनके काम को पहचान प्रदान कर उन्हें बुनयिादी श्रम अधिकारों की गारंटी भी उपलब्ध कराएँ।
- संसद को मौजूदा कानून पर फरि से विचार करना चाहयि और 'पीडित-बचाव-पुनर्वास' की प्रक्रयिा में व्याप्त समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाहयि।
 - संकट के इस समय में वशिष रूप से यह और भी महत्त्वपूरण है।

स्रोत: द हद्दि